

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारण:— अपराह्न 03:10 बजे से।

अवधि:— 05 मिनट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम—सीएए नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी के समान अधिकार होंगे, क्योंकि अब वे भी भारत का नागरिक बन जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि उन्हें भारत के नागरिकों की तरह नागरिकता सूची में शामिल किया जाएगा और वे चुनाव लड़ सकेंगे तथा सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकेंगे। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर—एनआरसी का सीएए से कोई संबंध नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे किसी की नागरिकता छीनी जा सके। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी दरवाजे बन्द नहीं हुए हैं और मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। श्री शाह ने कहा कि पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस से इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह के बीच भारत आये सभी लोगों का देश में स्वागत है।

एक राष्ट्र—एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पन्द्रहवें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट सौंपी। अठारह हजार छह सौ छब्बीस पृष्ठों की रिपोर्ट में सभी संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार—विमर्श तथा एक सौ इक्यानवे दिन के शोध के निष्कर्ष शामिल किये गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले अठारह ओटीटी मंचों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें ड्रीम्स फिल्मस, हंटर्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, प्राइम प्ले और

अनकट अड्डा शामिल हैं। इन मंचों के साथ जुड़े उन्नीस वेबसाइट, दस ऐप और संतावन सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दो हजार के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इन मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों में अधिकतर अंश अश्लील और महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने वाले पाये गये हैं।

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वे एनडीए के साथ बने हुये हैं। नई दिल्ली में पार्टी की बैठक के बाद श्री पारस ने कहा कि एनडीए के साथ उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर जो सम्मान दिया, उसके लिए वे हमेशा आभारी हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज पटना में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी से मुलाकात की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में दो हजार नौ सौ एक नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे।

राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विश्वविद्यालयों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और समय पर परीक्षाओं का आयोजन करने को कहा है। श्री आर्लेकर आज बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की सीनेट की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

अररिया की एक अदालत ने हत्या के दोषी मोहम्मद शाकिर को आजीवन कारावास और पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

समस्तीपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य की चोरी और लूट की मोबाईल तथा मोटरसाईकिल बरामद की है।

खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत दुर्गापुर चौक से पुलिस ने पचास हजार रुपये के ईनामी अपराधी नवीन यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।